BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL*

PROF MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I beg to move for leave to Introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Banking Regulation Act 1949.

MR. DEPUTY - SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Banking Regulation Act, 1949.

The motion was adopted.

PROF. MADAU DANDAVATE : I introduce the Bill.

16.02 hrs.

ANTI-DEFECTION BILL*

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : I beg to move for leave to introduce a Bill to eradicate the malpractice of political defections.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to eradicate the malpractice of political defection.

The motion was adopted

PROF. SAIFUDDIN SOZ : I introduce the Bill.

---

* Published in Gazette of India Extraordinary. Part II, Secrion 2 dated 23.3.1984.

16.03 hrs.

HINDU SCRIPTURES AND OTHER RELIGIOUS LITERATURE (REVIEW AND AMENDMENT BILL) CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Rajnath Sonkar Shastri on 24th February, 1984.

The time allotted for this Bill was four hours, we have already taken three hours and thirty eight minutes; the balance time left is only twenty-two minutes.

Now, Shri Vridhi Chand Jain.

16.03 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बारमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू धर्म ग्रन्थ तथा अन्य साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधेयक जो श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में, मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हू। संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं:- (14), (15), (17), (23), (25) इत्यादि उनमें स्पष्ट है कि अनटचेबिलिटी को एबालिश कर दिया गया है। आर्टिकल (23) जो है :

That is about Right against Exploitation-prohibition of traffic in human beings and forced labour,

मेरे कहने का मतलब यह है कि संविधान के जो भी आर्टिकल्स हैं उनके विरुद्ध कहीं किसी भी लिट्रेचर में कोई प्रावधान है तो उसके बारे में हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि हम उसके संबन्ध में

क्या उचित कदम उठायें। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उस आयोग में प्रतष्ठित और अनुभवी व्यक्ति लिए जायें।

जिनको धर्मों के प्रति निष्ठा है और जिनको हिन्दू धर्म और दूसरे धर्मों का ज्ञान है और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी मनुस्मृति, बहुत से वेद पुराणों और रामायण में भी इस प्रकार के कई दोहे और कई काण्ड आए हैं, जिससे कि शुद्र को अपवित्र माना गया है। शुद को घृणा करने की दृष्टि से देखा गया है। इस प्रकार की बातें मनुस्मृति में दिखाई गई हैं और उनका वर्णन किया गया है। कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनको मैंने अध्यन नहीं किया है, परन्तु मैं विश्वास करता हूं कि शास्त्री जी ने पूरी तरह से अध्ययन किया होगा और अध्ययन करके ही विवरण दिया होगा। विष्णु स्मृति के अनुसार—"यदि शूद्र को ऊंचे आसन पर बैठा जाए तो उसके चूतड़ को दाग कर देश से निकाल दें। इस प्रकार शूद्र ब्राह्मण की शिक्षा हेतु कुछ बतावे तो उसके मुख में गर्म तेल भरवा दें। ब्राह्मण का मंगलकारी, क्षत्री का बलशाली वैश्य का वैभवशाली, शुद्र का निन्दाकारी नाम रखना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार-शुद्र को सलाह, हवन का घी, धर्म शिक्षा न दें और शिक्षा देने वाला व्यक्ति असंवृत्त नामक नर्क में गिरता है। शूद्र किसी सम्पत्ति का मालिक नहीं होता। शूद्र का एक मात्र धर्म है, अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है. उसका मैंने अध्ययन नहीं किया है। मैं तो समझता हूँ कि शास्त्र और मनुस्मृति में इस प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है। रामायण के अन्दर यह बात लिखी गई हैं कि ढ़ोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री सब ताड़न के अधिकारी हैं। यह अवश्य कहा गया है। यह भी तुलसीदास जी की रामायण ने कहा है। इसको भी मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : बाल्मीकि जी की रामायण में यह भी नहीं है। तुलसी दास जी की रामायण में हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तुलसी दास जी की पढ़ी जाती है। मैं समझता हूँ कि ये अपमानजनक शब्द हैं। इन शब्दों की निन्दा करनी चाहिए। इस प्रकार किसी के प्रति भी घृणा के शब्द कहे गए हैं, किसी के प्रति निन्दा के शब्द कहे गए हैं और किसी के प्रति इस प्रकार के शब्द कहे गए हैं, जिसको छूआछूत को बढ़ावा मिलता है, तो मैं उचित नहीं समझता हूं।

प्रश्न यह है कि जितने भी ग्रन्थ लिये गए है, उन ग्रन्थों की पूरी तरह से जांच करके, उनको मालूम करके और उन ग्रन्थों में जो भी शब्द लिखे गए हैं, उनका प्रकाशन बन्द कर दिया जाए और उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। अब यह प्रश्न सरकार के सोचने का है, चितन का प्रश्न है। इसको मैं भी मानता हूं कि कोई भी प्रकार के ग्रन्थ, पुस्तक और साहित्य प्रकाशित नहीं होना चाहिए। जो कि संविधान की इच्छा के विरुद्ध है। संविधान की मंशा के विरुद्ध हो। जो एक दूसरे के प्रति बराबरी के दर्जे में रुकावट डालता है। ऐसा कोई भी साहित्य हो उसका कोई भी प्रकाशन नहीं होना चाहिए। समाज के इस प्रजातन्त्र के

युग में हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिन्होंने हमें विशेष तौर से बराबरी का पाठ पढ़ाया है। जिन्होंने विशेष तौर से छूआछूत को मिटाने का भरसकर प्रयत्न किया है और उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया है उन धर्मों की विशेषता पाई है।

हिन्दू धर्म में भी बहुत सी विशेषतायें हैं, जैन धर्म में भी बहुत सी विशेषतायें हैं, बौद्ध धर्म में भी बहुत सी विशेषतायें है, हमारे यहां जैन धर्म के बहुत से तीर्थंकर हुए हैं, हिन्दू धर्म में शंकराचार्य जी हुए हैं, स्वामी विवेकानन्द जी हुए हैं, अनेक बड़ी-बड़ी विभूतियां हुई हैं, उन्होंने धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या की है लेकिन यदि किसी ने कास्ट सिस्टम के बारे में या किसी के प्रति घृणा की दृष्टि से देखने के बारे में कहा है तो मैं उसको कतई पसन्द नहीं करता हूं। जैन धर्म में तो यह लिखा है कि जब महावीर स्वामी पैदा हुए थे तो उन्होंने तो चारों वर्णों को समाप्त करने पर जोर दिया था। ये जो चार वर्ण हैं—ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्र—उन्होंने इस प्रणाली को भी समाप्त करने के लिये कहा था। जैन धर्म छूआछूत में विश्वास नहीं करता तथा वह इस बात पर जोर देता है कि छूआछूत समाप्त होना चाहिए। एक मानव दूसरे मानव के बराबर है, हम को शत्रु के प्रति मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिये, वह अहिंसा में विश्वास करता है। लेकिन हिन्दू धर्म के ग्रन्थों में यदि किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया है तो सरकार इस पर सोचे, चिन्तन करे। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार की किताबों का, इस प्रकार के साहित्य का प्रचार नहीं होना चाहिए, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं होना चाहिये जो हमारे डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है, जो हमारे संविधान के फण्डामेन्टल राइट्स के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार विचार करे और जो भी उचित समझे, कदम उठाये।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा): माननीय सभापति महोदय, बाहर से तो यह बिल बहुत अच्छा लगता है। उस समय के ग्रन्थों में जो कुछ लिखा गया है, मैं समझता हूँ वह उस समय के काल और परिस्थिति के अनुकूल लिखा गया है। जिस प्रकार का उस समय का समाज था, जिस प्रकार की मान्यतायें उस समय प्रचलित थीं उनकी अभिव्यक्ति उस समय के ग्रन्थों में हुई है, चाहे हम मनुस्मृति को लें या अन्य ग्रन्थों को लें। मनुस्मृति में जो कुछ लिखा गया है कालान्तर में हमारे समाज के विद्वानों ने उस बात को नहीं माना, उस को कन्ट्राडिक्ट किया है, बल्कि उस में उन्होंने उसमें सुधार किये हैं।

अभी यहां रामायण का जिक्र किया गया। रामायण में जो बाल्मीकि रामायण है उस में कोई ऐसी बात नहीं है जिस को हम अनुचित कह सकें, क्योंकि बाल्मीकि जिस तबके से उठकर आये थे, उन्होंने अपनी ही मनो-व्यथा को अपने ही संदर्भ में लिखने की कोशिश की। तुलसी की रामायण में उस रुप में अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। उस में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो कुछ कमियां भी हैं। हो सकता है उनको लेकर कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस लगती हो। हम भी महसूस करते हैं, हमारी भावना को ठेस लगती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने जिस संदर्भ में लिखा, सवाल यह है कि हम उसको किस संदर्भ में लेते हैं। मैं यह समझता हूं कि हमको उन ग्रन्थों में जो कुछ लिखा गया है उन की बुराइयों को नहीं देखना है, हम को यह

समझ कर कि उस समय जो काल पायरिस्थियां थीं, समाज में जो कमजोरियां थीं, उनको उस समय के अभिव्यक्त करने वालों की कमजोरी समझकर उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको ही ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिये। उनको अपने आदर्श में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जिस समय इन ग्रन्थों की रचना हुई थी, हमारे उपनिषदों की रचना हुई थी, हमारा समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था और जो समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो, जो ऊंच नीच की भावना पर आधारित हो, जिसमें किसी आदमी को बड़ा समझा जाता हो जन्म के कारण, किसी आदमी को बड़ा समझा जाता है इस बात के कारण कि वह किसी एक घर में जन्म लेता हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ विसंगतियां होंगी और समाज में कुछ कमियां होंगीं लेकिन आज हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, आज कानूनन उस व्यवस्था को हम नहीं मानते। हम प्रजातान्त्रिक समाज के रहने वाले लोग हैं और हम अपने समाज को आज के मूल्यों के अनुसार ढालना चाहते हैं। हमारी जो सरकार है, हमारी जो हुकूमत है, वह धर्म-निरपेक्ष सरकार है। हम जाति-निरपेक्ष हैं और हम न किसी धर्म में विश्वास करते हैं और न किसी जाति में विश्वास करते हैं। हम सभी को समान संरक्षण देने की बात करते हैं।

माननीय शास्त्री जी ने जो बात कही है, वह बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए, जिनसे दूसरों की भावनाओं को ठेस लगती हो मगर क्या वास्तव में कानूनन इस पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, सवाल इस बात का है। यदि प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसको किस संदर्भ में लोग लेंगें। यदि इन पर कोई रोक लगाते हैं और हम कहते हैं कि रामायण में जो यह ओबजेक्शनेबिल चीज लिखी गई है, उसको निकाल देना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए, उसको दूसरे लोग किस रुप में ग्रहण करेंगें क्या हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, हमारे बीच में, हमारी राजनीति में ऐसे लोग नहीं हैं, जिस राजनीति को समाज का दर्पण कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आज के समाज को प्रतिबिंबित करने वाली यह वस्तु है, उसमें क्या ऐसे लोग नहीं हैं, जो जाती के आधार पर समाज को ले जाना चाहते हैं, धर्म के आधार पर समाज को ले जाना चाहते हैं।

श्री सूरजभान : आर्टीकिल 17 आफ दि कांस्टीट्यूशन और सिविल राइट्स प्रौटेक्शन एक्टस, दोनों को यह वायलेट करता है।

SHRI C.T. DHANDAPANI (Pallachi) : tn those days killing was an act of courage. Now it is a crime.

SHRI HARISH RAWAT : I am not opposing.

मैं कह रहा था कि किस तरीके की विसंगतियां हमारे समाज में आज हैं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समाज की विसंतियों को यदि कानूनन हम दूर करना चाहते हैं, उन पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं और हम यह कहते हैं कि रामायण के इस चैप्टर को हटाना चाहिए तो क्या कानूनन यह हो सकता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उसमें जो यह बात कही गई और नारी को भी ताड़न की अधिकारी होने की बात कही गई है और जो इस तरह के दोहे और चौपाई हैं, उन को बाहर निकालना चहिए। इस तरह की विसंगतिया जो हैं, चाहे वह मनुस्मृति में

हो या चाहे कहीं दूसरी जगह पर हो, उन को अपने समाज में नहीं होने देना चाहिए लेकिन कानूनन हम ऐसा नहीं कर पाएगें। यदि रामायण में कोई संशोधन लाने का प्रस्ताव लाया जाता है या कोई कमीशन बैठाकर इस तरह की चीजों को दूर करने की बात होती है, तो क्या हमारे शास्त्री जी, जिस पार्टी से वे आते हैं और उनका जो एलायन्स बी.जे.पी. से है, उस पार्टी के लोग क्या इस बात को मानेगें और अगर ऐसी कोई बात होती है, तो राजनीतिक कैपिटल पैदा करने की कोशिश नहीं होगी .. (व्यवधान)... मैं आपकी बात नहीं करता आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं लेकिन आप अपनी पार्टी से इस बारे में कहलवा दें। आपकी पार्टी के जो मास्टर हैं, जिनके हाथ में पावर है, उनसे कहलवा दीजिए, तब मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

SHRI SURAJ BHAN : Let the Minister say that it is their official view. Let them say.

SHRI HARISH RAWAT : You have not listened to me. Please listen to me.

आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं कांग्रेसमैन हूं और कांग्रेसमैन की एक परम्परा है। हम तो महात्मा गांधी की पार्टी से सम्बन्धित हैं, हम नेहरु की पार्टी से सम्बन्धित हैं। महात्मा गांधी इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, छूआछूत के खिलाफ थे और हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई की बुनियाद उन्होंने इसी आधार पर डाली और कार्य रूप में उसे परिणत करने की कोशिश की और आज भी हमारी पार्टी इसी बात पर डटी हुई है। हम जाती निरपेक्ष हैं और धर्म निरपेक्ष हैं। नेहरु परिवार और इन्दिरा गांधी का परिवार इसको पूरी तरह से मानता है और हम उनके अनुयायी हैं। इसलिए हमारी भावना पर आप बिल्कुल संदेह न कीजिए। आपकी जो कमजोरी है और जो आपकी विसंगति है, उसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि शास्त्री जी की पार्टी के लोग और उनके सहयोगी बी.जे.पी. के लोग खुल कर इस बात की मांग करें कि इस प्रकार के धर्म ग्रन्थों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं उनकी भावना के साथ हूँ और उन के साथ अपनी भावना भी जोड़ता हूँ।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण): आप परिवार की बात मानते हैं या विचार-धारा मानते हैं।

श्री हरीश रावत : मैं विचारधारा को भी मानता हूँ और कई परिवार ऐसे होते हैं जो विचारधारा के परिचायक होते है और इन्दिरा गांधी और नेहरु का परिवार ऐसी विचारधारा का परिचायक है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो जातिनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की ताकतें हैं, उनका प्रतिबिम्ब नेहरु परि-वार है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में, जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करता हुआ, शास्त्री जी ने जिस मूल भावना से प्रेरित होकर यह बिल प्रस्तुत किया है, उस भावना का मैं समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर हम ऐसे उपाय कर सकते हैं बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाये तो हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : इस बिल के लिए जो टाइम था वह खत्म हो गया है, इसलिए मैं मिनिस्टर को बुलाती हूँ। 4 बज कर 22 मिनट तक का टाइम था, वह पूरा हो गया है।

श्री राजनाथ सोमकर शास्त्री : यह महत्वपूर्ण बिल है, अभी इस पर बहुत लोग बोलने वाले हैं, दंडपाणि जी भी बोलने वाले हैं। मैं भी चर्चा का उत्तर दूंगा और एक घंटा लूगा।

सभापति महोदय : अभी मिनिस्टर को बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिये।

कुछ माननीय सदस्य : बहुत से लोगों को अभी इस पर बोलना है, इसका समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : अगर दो-दो मिनट में आप लोग अपनी बात कह दें तो इसके लिए आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

Is it the pleasure of the House that the time for this Bill be extended by half an hour?

SOME HON. MEMBERS : Yes,

MR. CHAIRMAN : The time is extended by half an hour.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : आनरेबल चेअरमेन साहिबा, जो यह बिल हमारे सामने लाया गया है और जो आनरेबल मेम्बर इसे लाये हैं, मैं समझता हूं कि उनके जजबात एक ठोस बुनियाद पर खड़े हैं।

जहां तक हमारे विधान का सवाल है, उसके प्रीएम्बल में यह बात बिल्कुल वाजे कर दी गई है कि किसी मजहब, फिरके पैदाइश या कारोबार की बुनियाद पर इस मुल्क में लोगों को तकसीम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस किस्म की बातों को अगर वे किसी मजहबी या गैर-मजहबी किताबों में है तो उनको निकाल दिया जाना चाहिए।

लेकिन जहां मैं यह बात कहता हूं वहां मैं इस ऐवान के सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि जहां तक हमारी मकदस मजहबी का किताबों ताल्लुक है, जहां तक हमारी मकदस धार्मिक पुस्तकों का ताल्लुक है, जैसे कि रामायण है, भागवद्गीता है, बाईबिल है कुरान है, गुरुग्रंथ साहब है, उनके बारे में बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि उनके बारे में इस हाउस को कुछ करने का कोई अख्तियार नहीं है और न हमारा कांस्टीच्युशन ही इस बात की इजाजत देता है। इन मजहबी किताबों की जो स्प्रिट है और इन पर जो हमारे लोगों को यकीन है, उसको देखते हुए इन किताबों में कोई तबदीली करना या उनमें से कुछ निकालना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात की जाती है तो इससे हम बहुत बड़ा झगड़ा ही पैदा करेंगे क्योंकि इस किस्म की कार्यवाही मजहबी मामलों में मदाखलत मानी जाएगी। इसलिए मैं सोनकर साहब से कहना चाहता हूं कि इन मुकद्दस मजहबी किताबों के बारे में कुछ करना नामुमकिन है।

साथ में कुछ इंटरप्रिटेशन की बात है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इंटरप्रिटेशन पर बहुत कुछ दारोमदार है और इस्लाम में उसको इजतहाद कहा गया है कि किस ढंग से, साइंटिफिक नालेज के बलबूते पर जो इल्म और ज्ञान इन्सान को प्राप्त हुआ है, उसकी बुनियाद पर मजहबी बात

का इन्वेस्टीगेशन करें, तसकीकात करें और फैसला करें कि किस हद तक सही है या नहीं है। आज सारी दुनिया में और हिन्दुस्तान में यह बात तय है कि छूआछूत नहीं होनी चाहिग और जो भी आदमी ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा जुर्म है। मजहब और मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत नहीं होनी चाहिए। जो भी आदमी मजहब की तकसीम की बात करता है, टकराव की बात करता है, नफरत सिखाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। इस बिना पर जो इंटरप्रिटेशन की बात है, किसी भी मजहबी किताब को ले लीजिए, किसी भी मजहब को मानने वाली मेजोरेटी में लोग कहेंगे कि यह हमारा ईमान है। इस पर हमको यकीन है, इसके अन्दर कोई गलत बात नहीं है। माइनारिटी के लोग कह सकते हैं कि इस मजहब की किताब में ज्यादती हुई है। जब यह इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है, इंटरप्रिटेशन में बहुत बड़े विद्वानों ने भी गलतियां की हैं और उस इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर हमको वैसी किताबों का खंडन करना चाहिए। अगर किसी किताब में इन किताबों के बारे में गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है इन धार्मिक पुस्तकों के बारे में जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया तो वहां पर बड़ी सख्ती के साथ उन किताबों को बेन करने के लिए, उनको हटाने के लिए उनके चैप्टर बदलने के लिए, जहां भी हमारे विधान से टकराव बढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं जो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही नहीं है बल्कि मुल्क में बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, लिटरेचर में, फिक्सन में हिस्ट्री बुक्स में लिखा जा रहा है और इसी तरीके से फिक्शन के अलावा कुछ किताबें लिखी जा रही हैं, जहां वक्त-वक्त पर पता लगता है कि इससे नफरत सिखाई जा रही है। छूआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुसलमान-हिन्दू, हिन्दू-सिक्ख, सिक्ख-मुसलमान, क्रिश्चियन-हिन्दू के दरमियान भेदभाव बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम नावल्स, उपन्यास और तमाम कहानियां सारी की सारी सख्ती से बेन करनी चाहिएं। इस बात का पूरा हक इस पार्लियामेंट को है।

इतना ही नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारी फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, जिन पर कई बार हंगामा भी हुआ है, जिनमें हरिजन के जजबात को सताया गया चोट लगाई गई है या किसी और फिरके के जजबात के साथ खेला गया है। इस तरह की चीजों को भी बेन किया जाना चाहिए जो आपसी टकराव पैदा करती हैं। अगर इस तरह के नावल्स और किताबों पर बेन लगाने की बात है, सोनकर जी ऐसा चाहते हैं तो बिना बड़ी मजहबी मुकदस किताबों को छेड़ें, वो भी लिटरेचर मजहबी या गैर-मजहबी है, वहां पर इस कानून को लागू किया जाए और सख्ती के साथ किया जाए। जैसा कि सोनकर जी ने कहा है कि वे सारे वाक्य, जुमले और शब्द जिससे इस किस्म की बू आती है, इन्सान-इन्सान के बीच में नफरत पैदा की जा रही है, तोड़-फोड़ की जा रही है और छूआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि सोनकर साहब की यह बात हमें माननी और उस स्पिरिट की पूरी हिमायत करनी चाहिए जिस स्पिरिट के साथ उन्होंने यह बिल यहां रखा है।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

آنریبل چیئرمین صاحب ۔ جو یہ بل ہمارے سامنے لایا گیا ہے اور جو آنریبل ممبر اسے لائے ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبات ایک ٹھوس بنیاد پر کھڑے ہیں ۔

جہاں تک ہمارے ودھان کا سوال ہے اس میں پری ایمبل میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ کسی مذہب، فرقہ، پیدائش یا کاروبار کی بنیاد پر اس ملک کے لوگوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے اس قسم کی باتوں کو اگر وہ کسی مذہبی یا غیر مذہبی کتابوں میں ہیں تو ان کو نکال دیا جانا چاہیئے ۔

لیکن جہاں میں یہ بات کہتا ہوں وہاں میں اس ایوان کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہماری مقدس مذہبی کتابوں کا تعلق ہے، جہاں تک ہماری مقدس دھارمک پستکوں کا تعلق ہے جیسے کہ رامائن ہے، بھاگوت گیتا ہے، بائبل ہے، قرآن ہے، گورو گرنتھ صاحب ہے ان کے بارے میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں اس ہاؤس کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہمارا کانسٹی چیوشن ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے، ان مذہبی کتابوں کی جو سپرٹ ہے اور ان پر جو ہمارے لوگوں کو یقین ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کتابوں میں کوئی تبدیلی کرنا یا ان میں سے کچھ نکال ہمارے بس کی بات نہیں ہے ۔ اگر ایسی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس سے ہم بہت بڑا جھگڑا ہی پیدا کریں گے، کیونکہ اس قسم کی کارروائی مذہبی معاملوں میں مداخلت مانی جائے گی ۔ اس لئے میں سونکر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان مقدس مذہبی کتابوں کے بارے میں کچھ کرنا ناممکن ہے، ساتھ میں انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا

انٹرپریٹیشن پر بہت کچھ دارومدار ہے اور اسلام میں اس کو اجتہاد کہا گیا ہے کہ کس ڈھنگ سے سائنٹیفک نالج کے بل بوتے پر جو علم اور گیان انسان کو پراپت ہوا ہے اس کی بنیاد پر مذہبی بات کا انٹرپریٹیشن کریں، تحقیقات کریں اور فیصلہ کریں کہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے ۔ آج ساری دنیا میں اور ہندوستان میں یہ بات طے ہے کہ چھوا چھوت نہیں ہونی چاہیئے ۔ اور جو مذہبی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے مذہب اور مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیئے ۔ جو بھی آدمی مذہب کی تقسیم کی بات کرتا ہے، ٹکراؤ کی بات کرتا ہے، نفرت سکھاتا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی ضرورت ہے، اس بنا پر جو انٹرپریٹیشن کی بات ہے کسی بھی مذہبی کتاب کو لے لیجیئے کسی بھی مذہب کو ماننے والے سے سچائی میں لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اس پر ہم کو یقین ہے اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے ۔ مائینارٹی کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس مذہب کی کتاب میں زیادتی ہوتی ہے ۔ جب یہ انٹرپریٹیشن کی بات آ جاتی ہے انٹرپریٹیشن میں بہت بڑے ودوانوں نے بھی غلطیاں کی ہیں اور اس انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر ہم کو ایسی کتابوں کا کھنڈن کرنا چاہیئے ۔ اگر کسی کتاب میں ان کتابوں کے بارے میں غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے، ان دھارمک پستکوں کے بارے میں

میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ... تو وہاں پر بڑی سختی سے ان کتابوں کو بین کرنے کے لئے، ان کو ہٹانے کے لئے یا ان کے چیپٹر بدلنے کے لئے جہاں بھی ہمارے ودھان سے ٹکراؤ بڑھتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیئے، میں جو انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں صرف انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہے بلکہ ملک میں بہت سارے ایسے اپنیاس لکھے جا رہے ہیں، کہانیاں

لکھی جا رہی ہیں، لٹریچر میں فکشن میں، ہسٹری بکس میں لکھا جا رہا ہے اور اس طریقے سے فکشن کے علاوہ

کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جہاں وقت وقت پر پتہ لگتا ہے کہ اس سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، چھوا چھوت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مسلمان و ہندو، ہندو سکھ، سکھ مسلمان، کرشچن ہند کے درمیان بھید بھاؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام ناول، اپنیاس اور تمام کتابیں سدی کی ساری سختی سے بین کرنی چاہیئے۔ اس بات کا پورا حق اس پارلیمینٹ کو ہے۔

اتنا ہی نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری فلمیں بھی ایسی بن رہی ہیں، جن پر کئی مرتبہ ہنگامہ بھی ہوا ہے، جن میں ہری جن کے جذبات کو ستایا گیا۔ چوٹ لگائی گئی ہے یا کسی اور فرقے کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو بھی بین کیا جانا چاہیئے۔ جو آپسی ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں۔ اگر اس طرح کے ناولس اور کتابوں پر بین لگانے کی بات ہے سونکر جی ایسا چاہتے ہیں تو تمام بڑی مذہبی کتابوں کے

جو بھی لٹریچر

مذہبی یا غیر مذہبی ہے وہاں پر اس قانون کو لاگو کیا جائے اور اور سختی سے کیا جائے جیسا کہ سونکر جی نے کہا ہے کہ وہ سارے واکیہ، جملے اور شبد جن سے اس قسم کی بو آتی ہے انسان انسان کے بیچ میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور چھوا چھوت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں میں پورے وشواس کے ساتھ کہوں گا کہ سونکر صاحب کی یہ بات ہمیں ماننی چاہیئے۔ اور اس اسپرٹ کی پوری حمایت کرنی چاہیئے۔ جس اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے یہ بل یہاں رکھا ہے۔]

प्रो. अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर): मैं चाहूँगा कि मंत्री जी जितनी देर इस सदन में बैठीं रहें, हम एक दूसरे को देखते रहें। मैथिली सीमा का अगर विस्तार किया तो हम दोनों उसी क्षेत्र से आते हैं।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): आप मैथिली में बोलिए।

(व्यवधान)

प्रो. अजीत कुमार मेहता: सभापति महोदया, मैं समझता हूं श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने बर्रे के छत्ते में जैसे कंकड़ फेंक दिया हो। पूरी जनसंख्या धर्म पर विभाजित है। डा. लोहिया के कथन से मैं सहमत हूं। धर्म दीर्घकालीन है और राजनीति अल्पकालीन या तात्कालीन धर्म है। लेकिन जब दोनों का अविवेकी मिलन होता है, तभी सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसी मिलन के कारण सभी शोषण वर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, शोषण की सभी संस्थाएं इकट्ठीं हो जाती हैं और एक दूसरे को बल प्रदान करती हैं। भारतवर्ष में यहीं हुआ है। राज्य शक्ति और राजगुरु की शक्ति एक दूसरे की पूरक रही है। जब तक उनका काम नि:स्वार्थ, देश की रक्षा और समाज के संगठन से रहा तब तक वह ठीक रहा। लेकिन जब उसमें स्वार्थ आया और शोषण के लिए एक दूसरें का सहारा लेने लगे तब धर्म शास्त्रों में इस तरह की बातें आने लगीं जिसमें कि समाज का एक वर्ग शोषण का शिकार होने लगा। उसी के कारण धर्म शास्त्रों में जगह-जगह पर मनु स्मृति में या और किसी भी स्मृति में समाज के एक वर्ग को इस तरह से पद्दतालिका करके रखने की आशा लिखी गई है कि वह वर्ग जो सत्ता में उनकी सेवा करते रहें और उनके शोषण का शिकर होते रहें। अब कठिमाई यह है

कि इतनी पुरानी परम्पराओं को जो धर्म-शास्त्रों पर आधारित हैं, उसमें संशोधन करने का अधिकार हमें प्राप्त है या नहीं। जैसे कि अभी हमारे पूर्व-वक्ता ने कहा है कि कुछ पवित्र पुस्तकें मानी जाती रही हैं, ठीक है मानी जाती हैं। लेकिन उनमें जो सूत्र हैं जिनसे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शोषण का शिकार हो जाता है, उसको अब कैसे बदला जाए? अगर संविधान में प्रावधान करके कानून से उसको बदलना चाहें तो उनकी यह आशंका ठीक है कि एक तनाव पैदा हो जाएगा। उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन यह अधिकार किसको है? यदि हम यह संशोधन कर भी दें। तो हालत क्या होगी? हम उन श्लोकों को निकाल दें जो समाज के निम्न वर्ग के प्रति ऐसा आदेश देते हैं जिससे वे पद्दलित रहें।

जिसमें वह पद्दलित और शोषित रहें तो अगर हम निकाल भी दें, उनका छपना भी बन्द कर दें, तो उन लोगों के दिमाग से इसको कैसे निकाला जा सकेगा जिन्होंने उसको जबानी याद कर रखा है? आज हम सरकारी आदेश से निकाल देंगे, किन्तु कुछ दिनों के बाद जब परम्परा बनती चली जायगी, जैसे कि पुराने जमाने में लोग श्लोकों को याद करते रहे, उस परिपाटी को आप कैसे बन्द कर देंगे? सम्भव नहीं है। यह सम्भव तभी है जब सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाए कि यह श्लोक गलत हैं और इन्हें नहीं माना जाना चाहिए। जैसे मनुस्मृति की बहुत सी आज्ञायें आज के हिन्दू समाज में प्रचलित नहीं है। अगर मनुस्मृति की वह आज्ञायें मानी गई होतीं तो हमारे जैसे लोग यहां चुन कर नहीं आते तो यह कैसे हुआ? इसलिये यह संशोधन तभी सम्भव है जब सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाए। और इसके लिये केवल संसद् में कानून पास कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिये जो परम्परा हजारों साल से है उसके लिए कठिन सामाजिक लड़ाइयां लड़नी होंगी तब जा करके यह मान्यता प्राप्त होगी कि यह आदेश गलत है और इनको न मानना ही जायज है आज के संदर्भ में।

परन्तु एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि ऐसे जो भी संदर्भ हों धर्म-शास्त्रों में तो जो संस्थायें धर्म-शास्त्रों का अध्यापन कराती हैं, कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि सरकारी संस्थाओं में या उन शिक्षण संस्थाओं में, जिसको सरकार की मान्यता प्राप्त है, इस प्रकार के संदर्भों का अध्ययन, अध्यापन वहां न कराया जाए। इतना तो आप कर सकते हैं, और यह आपके कार्य- क्षेत्र में आता है। अगर आप संशोधन कर पाने में अक्षम हों जैसा कि मैंने स्वयं कहा है कि वह सदन के लिये सम्भव है भी नहीं, तो वैसी परिस्थिति में इतना तो अवश्य करा जा सकता है कि इसका अध्यापन, अध्ययन उन संस्थाओं द्वारा कराना मना कर दिया जाए जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, या जो सरकारी सहायता से चल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI B.K. NAIR (Quilon): Madam Chairman, I am happy to have a few minutes to speak on the subject.

The picture drawn by my friend in the Statement of objects and reasons is rather grim. He goes into all the aspects of the anciat traditions, of the contents of the old scriptures and sacred books and ultimately comes to the conclusion that by merely abolishing a few passeges relating to caste and degradation of people and all that, a solution can be found.

I feel looking to the gravity of the situation and to the depth to which the disease has penetrated into our society, the solution suggested to me to be rather too simplistic. I don't say the system of discriminaton and the principle of Keeping down oertain people is in our traditions. In fact, if you look at our old Puranas, will find not all the time the so-called lower castes were kept down.

You will remember, Madam, that the greatest God that we worship is Sri Krishna who belonged to the cowherd castes, He was a Sudra according to the anclent classification of castes. Sri Rama was only a kshatriya, not a brahmin and our greatest poet, Ved Vyas, was the son of a fisherwoman. Similarly, Kalidasa also belonged to a non-brahmin community according to the ancint classification. So, caste was not such a thing to be condemned in the olden days. It is only by practice and by continuous discrimination by certain vested interests that it has led to the present state of affairs.

Madam, I do not think the caste system has died down. But the evils of the caste system have been to a certain extent got over by the Constitution-makers. Some people say, the old law Manu should have been abolished, but were not the Constitution-makers aware of the evils ? Dr. Ambedkar was one of the makers of the Constitution, who according to the past classification should be considered a sudra. So, caste is not such a bugbear as it once might have been. Now, we are getting over this classification by constitutional means. By merely passing a law what are we going to gain ? The Constitution itself abolished the caste distinctions. Have you abolished the caste system in all these years by law ? There are so many evils in our country. Are they getting over these evils by marely passing a legislation ? It is a figment of imagination if anybody says that the evils can be removed by scrapping the scriptuses. The caste system as such had its own better side in our society. It is the caste system that held this country together. It was the caste system that held the people together with all the differences, with all the ups and downs of history. I tnink it is my feeling that this caste system with all the drawbacks has held the Indian society together. What happened to Greece and other empires ? They have been destroyed. In olden days they felt that the society or the community was homogeneous with Brahmins, Kshatriyas and Sudras. They performed their respective duties together. Everybody felt that he was part of the system in which he was born. So, I still feel that the system contributed to our stability. Now, what is happening ? The caste system is being reborn in another way. According to the activities of a particular group we divded the society into castes. For instance, a doctor wants his son to be a doctor, a politician wants his son to be a Minliter or something, an IAS Officer wants to get his children pass the IAS examination. So, the caste system is being re-bore in another form. So, it is nothing surprising that in the olden days the caste system got some strength. Rather than gaing into this adventure of modifying our scriptures etc. We should try to preserve them as a part of our heritage. We have 50400 years of culture. So, it is a part of our culture. It may not accepted, we may not uphold it. Then keep it aside. You may not follow it. It is all right. What are those that you follow now ? We are not even following even the written laws in the current affairs. What is there in the question of trying to follow the old laws ? Is somebody bound by the old laws ? Nobody is bound by the old laws. Nobody bothers about the laws. Let us preserve them as a part of our heritage, may be good or may be bad. What about the big temples or architectural pieces ? They are not habitable places. They are not places to live in. Do we replace them by modern buildings ? No, they are part of our heritage of 5,000 years. Keep them alone. Let the great ancestral things live in peace.

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, श्री शास्त्री ने एक बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की ओर

ध्यान आकर्षित किया है। किसी धर्म के तीन अंग होते हैं : दर्शन, परम्परा और अंध-विश्वास। दर्शन शाश्वत होता है, परम्पराएं बदलती रहती हैं और जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, अन्ध विश्वास दूर होता जाता है। प्रश्न यह है कि क्या कानून के द्वारा वैचारिक क्रांन्ति हो सकती है। जिन विचारों का प्रतिपादन शास्त्री जी ने किया है, हम जैसे बहुत लोग उन पर अमल करते रहे हैं। आज से 66 साल पहले 1928 में अस्पृश्यता निवारण मन्दिर प्रवेश और सहभोज के आन्दोलन में भाग लेने के कारण ग्राम के लोगों के द्वारा तीन साल तक मेरा जाति से बहिष्कार किया गया था।

महर्षि दयानन्द पर अखिलानन्द ने एक किताब लिखी "दयानन्द भास्कर" उसके बाद किताब लिखी "दयानन्द तिमिर भास्कर"। अगर आर्य समाज कहे कि "दयानन्द तिमिर भास्कर" पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, तो क्या सम्भव हो सकता है? इसके साथ ही हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर हम किसी चीज को अधिक प्रचलित करना चाहते हैं, तो उसका उपाय यह है कि उसको प्रतिबंधित कर दें।

1928 में पंडित सुन्दर लाल ने चाँद में भारत में अंग्रेजी राज्य की एक शृंखला शुरु की। अंग्रेजों ने उसको जब्त कर लिया इस कारण उसकी मांग इतनी बढ़ गई कि जगह-जगह पर हजारों लोग उस किताब को पढ़ने लगे। मैं समझता हूं कि यदि रामायण या अन्य पुस्तकों में ऐसे विचार हैं, जिनको हम आवांछनीय कहते हैं, तो उन आवांछनीय विचारों के विरुद्ध एक दूसरी रामायण लिखी जा सकती है।

लाला फिरोजानन्द ने पीपल में एक आर्टिकल लिखा "दशहरा इज ऐन अनवर्बी ट्रेडीशन" हांलाकि बहुत लोग विजय-दशमी का उत्सव मनाते हैं।

एक और आर्टिकल में फिरोजानन्द ने कहा कि भगवान, कृष्ण को भगवान मानना बड़ी मूर्खता है, कृष्ण तो भगवान नहीं था, वह तो दुराचारी था। क्या इस तरह के विचारों पर कानून के जरिये ये प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है?

सत्यार्थ प्रकाश के चौहदवें समुल्लास में महर्षि दयानन्द ने क्रिस्चियेनिटी, इस्लाम, यहूदी आदि बहुत से धर्मों के बारे में आलोचना की है। तो क्या सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए? इससे कितना बड़ा आन्दोलन खड़ा हो जाएगा।

यहां पर मुहम्मद गौरी और गजनवी ने कितने मन्दिर तोड़े। उनका नतीजा यह हुआ कि घर-घर में मन्दिर बन गए। मूर्ति पूजा को मुहम्द गौरी नहीं रोक सका। लेकिन आर्य समाज ब्रज समाज और महर्षि दयानन्द ने मूर्ति पूजा को सत्य कर दिया। मन्दिर बने हुए हैं, लेकिन उनमें कोई पूजा करने वाला नहीं है। लेकिन क्या मूर्ति पूजा को कानून के जरिये से रोका जा सकता है?

महात्मा गांधी पुरी गये वहां पर कस्तूरबा और महादेव देसाई मन्दिर में चले गए मगर महात्मा गांधी ने अनशन किया और कहा कि जब हरिजन उस मन्दिर में नहीं जा सकते, तो तुम कैसे चले गए। महात्मा गांधी का ब्लड प्रैशर बढ़ गया। महादेव देसाई ने कहा कि बापू मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।

संसार का इतिहास अन्याय और शोषण का इतिसास रहा है। एक तरफ जहां बल प्रयोग रहा है वहां दूसरी तरफ विचारों के

द्वारा लोगों को गुलाम बनाया गया है। अमरीका में फिलाडेलफिया व अन्य शहरों में आज से सौ साल पहले गुलाम बिका करते थे। कनाडा में यह गुलामी की प्रथा नहीं थी। क्रिश्चियेनिटी कहती कि गुलामी की प्रथा क्रिश्चियेनिटी के अगेंस्ट है। मैरिशन वहां मीटिंग कर रहा था, उस पर पत्थर बरसाए गए। जेल में बन्द करने लगे तो लोग उसके पिता से आकर बोले :

Williams, Williams, I sympathise with your son.

Your son has gone mad. He demands abolition of slavery.

एक समय वह भी था। लेकिन वहां पर गुलामी की प्रथा बन्द हुई।

शास्त्री जी का इस बिल को प्रस्तुत करने के पीछे जो उद्देश्य है, उससे किसी भी विवेकशील व्यक्ति को मतभेद नहीं हो सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि उसको किस प्रकार से अमल में लाया जाए। मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं जैसे पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट है लेकिन क्या किसी भी पार्लिमेन्ट मेम्बर ने अपनी रिटर्न ठीक भरी है ? जब इस तरह का कोई कानून है जिस पर कोई व्यक्ति अमल नहीं कर सकता तो उससे जनता का क्या भला हो सकता है ? इसलिए मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो उद्देश्य है उससे कोई भी मतभेद नहीं रख सकता लेकिन सवाल यही है कि उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो ? आज पंजाब में कितनी फैनेटिसिज्म है लेकिन आदमी के दिमाग को आप किसी कानून के द्वारा नहीं बदल सकते। रामायण को बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को धर्म में विश्वास नहीं है। आज बहुत से कम्युनिस्ट हैं जो समझते हैं कि धर्म आदमी के लिए अनिस्थीसिया है, एक तरह से अफीम है। आज जिस तरह से सिक्के और परम्परायें बदल जाती हैं उसी तरह से रामायण उस मनुस्मृति को बदल सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि यह विचार इस सदन के विचार हो गए हैं और इन पर कोई मतभेद नहीं है लेकिन कानून बनाने से उन्हीं विचारों का प्रतिपादन होगा जिनको कि आप हटाना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि ईश्वर तो प्राप्त करने के लिए क्या करें तो उसने कहा बन्दर का ध्यान मत करना लेकिन उसने बताया कि जब भी वह बैठता है तो बन्दर उसके ध्यान में आ जाता है। जिस चीज के लिए भी आप कहेंगे कि मत करो उसी को लोग करेंगे और उसको पढ़ेंगे कि आखिर उसमें है क्या। इसलिए मेरा अनुरोध हैं कि वैचारिक क्रांति में हम सभी आपके साथ हैं लेकिन कानून के जरिए से आप इसको नहीं कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्री जी ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है उसपर इतनी लम्बी बहस चली, बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। जहां शास्त्री जी ने मनुस्मृति की बात कही, मैत्रायणी संहिता, विष्णु पुराण और रामायण की बातें कहीं, मैं तो शास्त्री जी की तरह विदुषी नहीं हूँ, मैं इन पुस्तकों में से सिर्फ बाल्मिकि रामायण और तुलसी कृत रामायण ही पढ़ सकी हूँ॥

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ? दोनों अलग-अलग हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : दोनों ही मैंने कहा। आप जरा गौर से मेरी बात सुनिए।

यह कोई हिन्दी सम्मेलन नहीं है और न ही यह कवि सम्मेलन है और यहां पर अपनी योग्यता देने की भी अवश्यकता नहीं है। विधेयक पर बहस हुई और बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गई, तो मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। आप मुझे बोलने दीजिए। किसी के हृदयपर मैं चोट करने वाली नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा प्वाईन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इन्होंने कहा है कि इन दोनों किताबों को पढ़ा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमें उस पर आपत्ति नहीं है। ठीक है आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है। एक किताब का नाम ले लिया इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान की गृह राज्य मंत्री हैं और आप इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना बात कर रही हैं।

श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : मैंने बाल्मिकि द्वारा रचित रामायण को पढ़ा है और तुलसीकृत रामायण भी पढ़ी है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहीं हूं। गलत बयानी करना मुझे पसन्द भी नहीं है। सोनकर शास्त्री जी जब धर्म ग्रन्थों का नाम ले रहे थे तो उन्होंने एक जगह यह भी कहा था था कि इन धर्म ग्रंथों के अनुसार शूद्र की परिभाषा, जैसा कि उन ग्रंथों में लिखा है, असत्य बोलने वाले शूद्र हैं, चुगली करने वाले शूद्र हैं। और निर्दयी आचरक करने वाले शूद्र हैं। मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूं कि यदि मैं चुगली करूं, निर्दयी आचरण करूं तो मैं भी शूद्र कहला सकती हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, मेरी आपसे मित्रता है, बातें भी होती हैं, आपने तुलसी दास जी के बारे में बड़े जोरदार शब्दों में कहा—उन्होंने शूद्र की भर्त्सना की है और नारी की भी भर्त्सना की है। उन्होंने लिखा है रामायण में—ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी में सब ताड़न के अधिकारी। जहां तक मेरी योग्यता है मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूं कि तुलसी दास जी ने रामायण लिखते वक्त शुरु में ही लिख दिया है :

भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा,

तुलसी दास जी ने राम और सीता के उज्जवल चरित्र का चित्रण करते हुए भक्ति मार्ग को दर्शाया है, ज्ञान मार्ग को दर्शाया है और कर्म मार्ग को भी दर्शाया है और योग मार्ग की भी बात की है। उसकी तह में मैं जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि इन तमाम धर्मों की तह में जा कर मैंने प्रवेश नहीं किया है और न ही मुझे इन मार्ग का पूरा अध्ययन है। कुछ ऊपर ही ऊपर पढ़ सकी हूं। आपने मुझसे अधिक विद्वतापुर्ण भाषण दिया। मुझे आपके प्रति श्रद्धा है. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि आपने श्रृंगार रस को क्यों छोड़ दिया, अद्भूत रस को क्यों छोड़ दिया वत्सल्य रस को क्यों छोड़ दिया, वीर रस को

क्यों छोड़ दिया और सीधे बीभत्स रस पर क्यों उतारु हो आये ? यदि वे उन अध्यायों को भी यहां पर रख देते तो कुछ आनन्द आ जाता और डागा जी जैसे माननीय सदस्य भी औरों के साथ-साथ आनन्द विभोर हो जाते। मैं, सोनकर जी, आपको बताना चाहती हूँ कि तुलसी दास जी ने जो लिखा है, वह समुद्र के मुख से कहलवा रहे हैं। तुलसीदासजी स्वय नहीं कह रहे हैं। जब राम विह्वल होकर समुद्र लांघ कर श्रीलंका नगरी में प्रवेश कर रावण को पराजित करके सीता को अशोक वाटिका से निकालना चाहते थे, तब उन्होने वाण को उठाकर कहा कि समुद्र तुम सूखो। उस समय समुद्र बोल रहा है—"ढोल गंवार शूद पशु, नारी में सब ताड़न के अधिकारी हैं"। समुद्र जड़ है और राम चेतन। जड़ चेतन और क्या कह सकता है ? वह तो जड़ता की ही न बात करेगा। दूसरी पंक्ति में कहा है—"नारी स्वभाव सत्य बादी कहहि, अवगुण आठ सदा उर बसहि। लेकिन रावण ने मंदोदरी को कहा है, एक राक्षस ने राक्षसी को कहा है, एक राक्षस से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। जब रावण राम से युद्ध करने उधत होता है तो मन्दोदरी रावण के पांव पकड़ विह्वल स्वर से अनुरोध करती है कि तुम भगवान से मत लड़ो। इससे रावण क्रुद्ध होकर मंदोदरी को ऐसा कह रहा है। तुलसीदास जी के बारे में किसी कवि लिखा है—

17-00 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

ओ महाकवि आ गये तू,
गीत जीवन के मरण के।
भाव पूरक मुक्त मन के,
सत्य शिव सौंदर्य वाहक।

कवि अपने काल की स्थिति के उद्योतक हुआ करते हैं। माननीय सदस्य श्री काबुली जी ने फरमाया—इनका इन्टरप्रेटेशन तरह-तरह से होता गया है। इन्टरप्रेटेशन सही तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन कठिनाई यह है कि हर मनुष्य अपने-अपने ढंग से इन्टरप्रेटेशन करता है और हम उसके भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी है वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में जैसे थाईलैंड, सुरीनाग, मारिशस, फीजी आदि देशों में भी पहुंची हुई है। वहां भी रामायण की कथा बड़ी श्रद्धा से पढ़ी जाती है, तस्वीरें आदि भी निकलती हैं। इसलिए आपको धर्म और मजहब के झगड़े में नहीं जाना चाहिये। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं—

यहीं हमारे मन्दिर मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा है,

यहीं हमारा ताजमहल है और कुतुब-मीनारा है।

इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है,

दूर हटो ऐ दुनियावालों, हिन्दुस्तान हमारा है।

इन्दिरा जी मन्दिरों में जाती हैं वहां के पुजारी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। बहस के दौरान यह भी कहा गया है मैं आपको बतलाना चाहती हूं जहां वे मन्दिरों में जाती हैं वहीं हरिजनों की झोंपड़ियों में भी रोशनी जलाती चलती हैं। गरीबी की दशा में

सुधार करती जाती हैं। मुझे भी एक पंक्ति याद आ गई है—

"स्मृतियों के पटल पर रंगे चित्र कितने,
किसी ने बनाये किसी ने मिटाये।"

1928 की ही बात है, मैं उस समय एक छोटी बालिका थी लेकिन गांधी जी और जवाहर लाल जी के आजादी के नारे पर हमारा सारा परिवार कुरबान था। हम लोग हरिजनों की कालोनी में जाते थे, वहां पिता-माता के साथ उन्हें सफाई और शिक्षा का संदेश देते थे। उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करते थे। मेरे पिता जी ने हनुमानजी मन्दिर बनवाया था। जेल से छूटने के बाद मन्दिर का द्वार हरिजनों के लिये खोला जहां उन्होंने हनुमान की पूजा की। इसपर हम लोगों को जाति से निष्कासित किया गया था लेकिन बाद में जब उन्हें ज्ञान आया तो वे हम लोगों के रास्ते पर चलने लगे।

मैं आपको एक बात और बतलाती हूं। हमारे यहां एक "मनुष्यमारा" नदी थी, जो सीतामढ़ी जिले में थी वह इतनी भयंकर नदी थी कि उस में पांव रखते ही मनुष्य दो घंटे में मर जाता था। 1937 में जब कांग्रेस हुकूमत कुछ दिनों के लिये बिहार में आयी तो मिनिस्टर लोग और दूसरे नेतागण वहां के लोगों को त्रास दिलाने के लिये गये। बहुत बड़ी सभा हुई। उसके बाद जब वे वहां से चलने लगे तो लोगों की इच्छा हुई कि चाय पी जाय। उस जमाने में चाय सब जगह नहीं होती थी। वहाँ एक "हरि" साहब थे जो क्रिश्चियन थे, उनका एक नौकर था जो हरिजन था। मेरे पति ठाकुर मंगल किशोर सिन्हा ने चाय की व्यवस्था वहीं करायी लोगों ने चाय पी साथ-साथ मेरे पति ने भी चाय पी। इस पर 10 वर्षों के लिये हम लोगों को जाति से निष्कासित कर दिया गया। गांधी जी, जवाहर लाल जी, मौलाना साहब, शास्त्री जी, सरोजनी जी और इन्दिरा जी का क्या कहना है, ये लोग हमारी आजादी के अग्रिण नेता थे और हैं। मैं तो यही कहूंगी —गीता में लिखा है—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनर्थाय संभवामि युगे-युगे।

यह मनुष्य धर्म है, इसका मतलब न हिन्दु से है, न मुसलमान से है, न सिख या ईसाई से है, न शूद्र से है, न वैश्य से है, न क्षत्रीय से है और न ब्राह्मण से है, यहां मानव धर्म से इसका सम्बन्ध है।

हजारों साल से नदगिस, अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

हम भारतवासियों की यह खुशकिस्मती है कि एक ही सदी में गांधी जी का नेतृत्व मिला, जवाहर लाल जी का नेतृत्व मिला, शास्त्री जी, सरोजनी जी और मौलाना का नेतृत्व मिला और आज हम इन्दिरा जी के नेतृत्व से चमत्कृत हो रहे हैं यदि इस विधेयक में हमारे उन नेताओं की बात आयी है, इन्दिरा जी पर कोई फब्ती कसी जाती है तो मुझे बहुत दुःख होता है। मैं कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती लेकिन मेरी जो मृदु वाणी है वह मुझे कुछ कहने के लिये विवश कर रही है

गांधीजी ने हरिजनों के लिये क्या किया, देशवासियों के लिये क्या किया और किस तरह उन्हे जगाया। ये तमाम बातें यहां कहने की नहीं हैं। ये हम सभी जानते है। जवाहरलाल नेहरु जी ने क्या कुछ नहीं

किया और इन्दिरा जी क्या कुछ कर रही हैं, यह सब जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि गांधी जी की पुत्र वधू और राजगोपालाजो जाति के ब्राह्मण थे और उनके कुल से पैदा हुई थी उनकी पुत्री लक्ष्मी गांधी, जब ब्याह करके लाई गई, तो दिल्ली की भंगी कोलोनी में उतारी गई और वहीं वे हरिजनों की सेवारत हो गयीं। उनके घरों की सफाई करने लगी। उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगीं जवाहरलाल जी, जिन्होंने आजादी के लिये आन्दोलन की रोशनी से सारे देश को प्रभाहित किया, वे हरिजनों और आदिवासियों के लिए दर-दर की ठोकरें खाने चलते थे। पहाड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे, जंगलों में भारत के लाखों गावों में पहुंचकर उन्हें स्वावलम्बन, शिक्षा, हिम्मत और देश-भक्ति का पाठ पढ़ाया और आज इन्दिरा जी उसी काम को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आप मनुस्मृति की बातें करते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि बीस-सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम के जरिये और छटी पंचवर्षीय योजना के जरिये आदिवासियों के लिये, हरिजनों के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके कल्याणार्थ क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। इसमें आपका भी सहयोग मिलना चाहिए। केवल सरकारी मशीनरी से ही यह सब काम नहीं हो सकत है। जब तक आप तमाम लोग इसमें सहयोगी नहीं हो। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब न कोई शूद्र है, न कोई वैश्य है, न कोई क्षत्रिय है और न कोई ब्राह्मण है। अगर ऐसी बात होती, तो मैं कहूँगी कि मैं ब्राह्मण हूं. मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूं। पर मैं न तो ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं और न क्षत्रीय और नहीं शूद्र हूं मैं तो भारत की एक नागरिक हूँ और एक इन्सान हूं। यही गांधी जी ने बतलाया और यही जवाहर लाल ने बतलाया और इन्दिरा जी ने भी उसी पथ का प्रदर्शन किया है। विश्व शन्ति की मसीहा इन्दिरा गांधी आज बहुत सारे राष्ट्रों की अग्रदूत हो गई हैं और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी हैं दुनिया में जो अविकसित मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं गुलाम मुल्क हैं, वे तमाम उनके नेतृत्व की रोशनी से प्रकाशित होना चाहते और वे इस में अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए और सरकार की जो नीति है जो हमारी पालिसी है, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन में आपको योगदान करना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हमारा योगदान मांग रही हैं। यह आप विधेयक पर बोल रही हैं, आप बीस-सूत्री कार्यक्रम का प्रचार कर रही हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : विकास के कार्यक्रमों में योगदान की बात मैंने कही है। समाजवाद की बात सम्भवत: शास्त्री के दिमाग में उन दिनों न रही हो लेकिन मेरे दिमाग में तो थी। मै आपको यह बताऊं कि पंत जी एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे लेकिन वे एक ब्रह्मण होकर काव्य रचना नहीं करते थे और न ही ब्राह्मणों के लिये रचना करते थे। उन्होंने उस जमाने में सिखाया जब हम गुलाम थे—

जग पीड़ित रे अति दु:ख से
जग पीड़ित रे अति सुख से
मानव जग में बंट जाए
सुख दु:ख से और दु:ख सुख से।

इसलिये इस वाद-विवाद के अर्न्तगत शास्त्रों का राष्ट्रीय नेताओं और महाकवियों एवं लेखकों के ऊपर जातिवाद का नकाब

जबरदस्ती मढ़ाने का प्रयास बिल्कुल बे-बुनियाद और निराधार है ।

MR. DEPUTY SPEAKER : I think, Gandhiji does not belong to any community. But if you want to say correctly, he was a ' Vaishya'.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Yes, Sir. In my limited time, I have spoken something.

MR. DEPUTY SPEAKER : He was a 'Vaishya', but he belonged to no caste.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North) : We are concerned with his thoughts and actions and not with the accident of his birth.

MR. DEPUTY SPEAKER : That is what I said. But if you go technically, he was a 'Vaishya'.

SHRI RAVINDRA VARMA : There is no technicality here.

MR. DEPUTY SPEAKER : I accept your correction.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : I agree with all of you. There is no dispute on that point.

SHRI SATYASUDHAN CHAKRABOKTY : I have read Gandhi a bit. He said, 'I am a Hindu , but that does not mean that I oppose any one or any religion'. He said, 'I am a true Hindu'. He never denied it. (*Interruptions*) But he said that he had no quarrel with any religion.

MR. DEPUTY SPEAKER : His conception of religion was different from what are now having.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मेरी बात सुनिये । हम लोग कर्तव्य परायण रहे हैं । जहां तक कवि का सवाल है, महाकवि बच्चन ने कहा है :

मन्दिर मस्जिद लड़वाते हैं
मेल कराती मधुशाला ।

इन बातों से हमें सबक लेना चाहिये । हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और कार्य भी किया है । गांधी जी ने बतलाया है, जवाहर लाल नेहरु ने बतलाया है और हमारे नेता इन्दिरा गांधी ने भी बतलाया है । हमारा *Motoo* है । हमारा आदर्श है, हमारा धर्म और कर्म मानवता की सेवा से है। हम मानववादी अवश्य हैं और हम जिस राह के राहगीर हैं वह हैं—

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना,
हिन्दी हैं हम, वतन है, सारा जहां हमारा ।

Sir, I am thankful to all the hon. Members including Shastriji.....

MR. DEPUTY SPEAKER : I think now only the real intervention starts. That is all extempore.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: who has initiated the discussion.

Sir, even if we agree for a moment with Shastriji, for the sake of argument, that some Hindu Scriptures and other religious literature contain certain verses which do not show overtly that all men are equal, we cannot say that such works today spread discrimination and hatred against a section of Hindus; it would be still more difficult to say that such lilerature shodld be prescribed or censored. Sir, the Government's stand on this question is that it would not be appropriate to establish a commission to identify such verses and amend the religious books by them.

The Constitution of India, by which the people of India have resolved to

constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic makes specific provisions to guarantee certain rights to our people. The very foundations of our national life, as enunciated in the Preamble and as stated by many hon. Members are :—

JUSTICE, Social Economic and Political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and of promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.

The Constitution makes specific provisions to guarantee these basic concepts.

Similarly, Art 15 of the Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of of birth. Untouchability which is considered to be the most prominent evil of the caste system, has also been abolished under Art 17. Special provisions for the weaker sections of society such as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been made in Art 15 (4) and 16 (4) of the Constitution enabling the State to provide special facilities to these classes, notwithstanding the provision relating to equality or prohibition of discrimination etc. in the Fundamental Rights Chapter of the Constitution. The various provisions of the Constitution, thus provide the driving force for the removal of caste distinctions.

Moreover, Art 25 (1) of the Constitution provides that subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practise and propagate religion. Thus, restrictions can be placed on the profession, practice and propagation of religion only in the interest of public order, morality and health. I may mention that Government takes cognizance of the activities of persons or organisation propagating or professing various religions in the form of publications only when these activities pose a great threat to public order or are otherwise illegal in which case appropriate steps under the existing laws to curb them, are taken,

The proposed Bill states that the verses given in certain religious books written in the past violate the provisions of the Constitution in its letter and spirit. It will not be advisable to consider such a Bill envisaging amendment of any classical literature as it goes against the principle of maintaining the historicity of such classical literature available with us. The task of bringing about any reform which may be needed in the minds of men may better be left to social or religious reformers who have already been tackling this problem with a very good amount of success.

It is well known that the Sutras, Smritis, etc. are important sources of ancient Indian history and it is a widely adhered principle that books of historical value are not re-written.

Sir, the views expressed in the distant past mirror the feelings of that age, and it is not unoften that such perceptions may not have stood the test of time and may be redundant with the passage of time and with the constemtly changing political, social and religious scenario over the centuries. There has been need for social reforms in all ages and the answers for our present day social ills lies in our combined and concerted effor to build the right type of public opinion so that there is spontaneous abhorence against social inequalities and discriminations. There is little evidence to deduce that certain couplets in the scriptures still affect the modern day thinking and a social conduct. But even assuming for argument's sake that these do, we have to work on social plane to condition the thinking of the present day man to the modern value systems, as enshrined in

our Constitution. We have to wean him away from conceptions, irrelevant to our times, Therefore, I fervently appeal to all the Honourable Members for renewing their dedication in fighting against practices and beliefs which are absolutely invalid today.

Sir, I would like to bring to the notice Honourable Members that text books are being screened by the Ministry of Education against any propagation of communal or caste hatred. This is being done by the National Council for Educational Research and Training under the directions of the Committee on Education, set up under the National Integration Council.

Sir, the examples given in the statements of objects and reasons mainly deal with the problem of caste in ancient Hindu scriptures. I would emphasise that for the actual problem of the practice of untouchability, adequate provision has already been made in Section 4 and 7 of the Protection of Civil Rights Act, 1955 which reads as follows :—

"S.4. Whoever on the ground of 'Untouchability' enforces against any person any disability with regard to—

* * * * * *

(x) the observance of any social or religious custom, usage or ceremony or taking part in, or taking out, any religious social a cultural procession,

* * * * * *

Shall be punishable with imprisonment for a term not less than one month and not more than six months and also with fine which shall not be less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees."

Similarly, Section 7 (c) reads as follows :—

"S.7(1) Whoever—

* * * * * *

(c) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, incites or encourages, any person or class of persons or the public generally to practice "untouchability" in any from whatsoeve ;

* * * * * *

"Shall be punishable with imprisonment for a term of not less then six months, and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees."

Sir, any action that is required to be taken against a person propagating untoucability today can be taken under these and other provisions of the P.C.R. Act. Similarly, any writing which propogates communal hatred can be taken care of under appropriate provisions of the Indian Penal Code and other Act. Having the proposed Commision may, in fact, cause tension and grve rise to controversies. I would like to emphasise that as our country is a Sovereign, Socialist, *Secular* Democratic Republic, the Government does not propose to interfere in the religious matters of any community, if such interference is not required for purposes of public order or social justice. I feel that there is no need to appoint a Commission as suggested by the Honourable Member.

Sir, in the circumstances, I would request the Honourable Member, Shri Rajnath Sonkar Shastri, to withdraw the Bill.

I once again thank the Honourable Members for their valuable views and suggestions.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Rajnath Sonkar Shastri.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब सबसे पहले मैं अपने उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी गम्भीरता के साथ लगभग पांच-छह घन्टे इस बिल पर अपने विचार प्रकट किए। बहुत से साथियों ने कुछ शंकाएं और कुछ ने बड़े उत्साह से इन धर्म ग्रन्थों की समीक्षा की, मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा मन इस बिल के माध्यम से मेरी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं किसी धर्म ग्रन्थ अथवा हिन्दू धर्म-ग्रन्थों का अपमान करूं अथवा हाऊस में या देश में गलत ढ़ग से चर्चा का बिषय बनूं। मुझे खुशी है कि मेरे दिल में जो पीड़ा थी, उस पर हमारे साथियों ने यहां बड़ी अच्छी तरह ध्यान दिया। यदि किसी धर्म ग्रन्थ में दो हजार मंत्र है तो निश्चय ही यह हमारे अतीत और वर्तमान के प्रतीक हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा वाक्य लिखा हुआ है जो हमारे सारे के सारे जीवनक्रम को या सारे धर्म की पवित्रता को नष्ट कर देता है। इस बिल को लाने का मतलब यही था कि इस वाक्य को निकाल दिया जाए। मनु-स्मृति मेरे पास है। यह हिन्दू धर्म का ग्रन्थ है और कानून की किताब है। इसका मैं उतना ही आदर करता हूं कि जितना कि हिन्दू समाज आज तीन हजार वर्षों से करता आ रहा है।

(व्यवधान)

इस मनुस्मृति में ऐसे शब्द हैं जो मन को चोट पहुंचाते हैं और कोई भी अपने को इंसान कहने वाला व्यक्ति इसको फूकने के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि इसको न फूका जाए। इस पार्लियामेंट और देश के बिभिन्न स्थानों में भी इसको फूका गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर पूजा के दो फूल चढ़ाए जाएं। यह तभी संभव होगा जब हम इसमें से अनर्थ-कारी शब्दों को निकाल दें। आपने प्रधान मंत्री के बारे में कहा वे हमारी प्रधान मंत्री हैं और देश की प्रधान मंत्री है। हम पार्लियामेंट में आलोचना या प्रत्यालोचना करते हैं लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनके कार्यों में सहयोग पहुंचाएं। मुल्क की आजादी की रक्षा हो और मुल्क का काम चलता रहे।

मैं ऋगवेद देख रहा था। उसमें एक जगह लिखा हुआ है 'अइन्द्रा,' जो इन्द्र को आराध्य नहीं मानते थे। 'अयज्ञा,' जो यज्ञ नहीं करते थे या जो दीक्षित लोग होते थे उनकी हत्या कर दी जाए। इसका मतलब है इस मुल्क के अन्दर जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म को मानने वाले जैसे काबुली साहब यहां हैं, इनकी हत्या कर दी जाए। कैसे कह सकते हैं कि यह सहिष्णुता की बात है। मेरे देश में ऋगवेद को भगवान की वाणी माना जाता है। लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसमें यह कहा जाए कि दूसरे धर्म को मानने वालों की हत्या कर दी जाए। उस ग्रन्थ को या उसके उस वाक्य को रहने दिया जाए। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि यदि मेरी कही हुई एक भी बात गलत निकल जाए तो मैं तुरन्त संसद् से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं। आज हमारे दिमाग का बौद्धिक दिवालियापन हो गया है। सभापति जी, आप सुने—हमारे यहां गायत्री मंत्र है, जिसका हम आदर करते हैं। लेकिन एक मामूली सी बात है, गायत्री मंत्र ज्यादातर लोग पढ़ते हैं.....

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : This was four thousand years ago. why do you bother about that now ?

MR. DEPUTY SPEAKER : This things were written when the people were not so civilized as you and I are now. They were in primitive age. It is not applicable now.

SHRI. VIRDHI CHANDER JAIN : No, no. They were more civilized.

SHRI C.T. DHANDAPANI: Then you abopt the literature written in primitive age. Why should you adopt the literature of the civilised people ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गायत्री मंत्र अच्छा है और हमारे लोग भी उनको महत्व देते हैं। मैं गायत्री मन्त्र का विश्लेषण कर रहा हूं। हमने अभी एक विद्वान् को बुलाया था जो ब्राह्मण थे, हमने कहा हम संस्कृत नहीं जानते हैं आप जरा अर्थ बताओ। तो जो अर्थ निकला उसके अनुसार गायत्री मन्त्र किरोसिन गैस है, बलीविंग पाउडर का काम करता है। फिर कोई दूसरी बात की जरूरत ही नहीं है। आप उससे हैलीकाप्टर बना सकते हैं, वायुयान भी बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी गायत्री मन्त्र के द्वारा बना सकते हैं और चला सकते हैं। रेलगाड़ी भी चला सकते हैं और लोगों की गरीबी भी दूर कर सकते हैं। फिर बताइये पार्लियामेंट की क्या जरूरत है ?

विदेशों के लोग भी देखते होंगे, दूसरे लोग भी देखते होंगे, तो उन पर क्या असर पड़ता होगा कि यह हिन्दुस्तान है जहां गायत्री मन्त्र में ही सारी की सारी दुनिया समायी हुई है। हम नहीं कहते गायत्री मन्त्र न पढ़ा जाय। जिसकी इच्छा हो वह पढ़े। हिन्दू धर्म ग्रन्थों से कुछ वाक्यों को हमने निकालने के लिए जो प्रस्ताव दिया है अगर उनको नहीं निकाला गया तो आने वाले वक्त में हमको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आज हमारी प्रधान मन्त्री और पूरा मन्त्री परेशान हैं दहेज से क्योंकि दहेज की वजह से तमाम औरतें मारी रही जा हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : In the beginning of your speech you have covered all the points. Please conclude now. Some other hon. Member is waiting to more his Resolution. You must give him a chance.

(Interruptions)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी सरकार और दोनों पक्ष के लोग और देश के लोग सभी परेशान हैं और चाहते हैं कि दहेज प्रथा का अन्त हो। रोजाना लड़कियां मर रही हैं, और अथर्ववेद क्या कहता है : है स्त्री तू दहेज पर आरोहण कर और इसे धुमकारी बना। यह हमारे वेद का 81 वां मन्त्र है।

MR. DEPUTY SPEAKER : The difficulty is that you have read all these things. We have never read all these things.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : That is why I am reading them out for your benefit.

MR. DEPUTY SPEAKER : I think many of the Members have not read this.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : By reading this out, you are doing more damage because we do not know all these things till now.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मण्डल 6 सूत्र 27 और मन्त्र 8 ऋगवेद में और 8, सूत्र 68 और मन्त्र 17 यह कहते हैं कि परिजनों और पुरोहितों को सुन्दर स्त्रियों से भरे रथ दान में दिये जायें।

यानी तमाम सुन्दर स्त्रियों को, जीवित स्त्रियों को रथ में बैठाकर दान दिया जाये।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : We do not know all these things. You are doing more damage by telling these.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप अपने पाप से क्यों घबड़ा रहे हैं, बैठकर सुनें।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : आज हमने समाज को बदल दिया है। कांग्रेस मूवमेंट ने ये सारी चीजें बदल दी हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आपने इतना बदल दिया कि आज एक भी औरत दहेज के अभियोग में नहीं मर रही है ? क्या आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में मुकद्दमें नहीं चल रहे हैं। न कोई मर रहा है ? यह केवल सरकार की ही बात है कि दहेज में मौतें हो रही हैं। यदि यह है तो मैं अपनी बात बन्द कर देता हूँ।

आप तो कांग्रेस की जनरल सैक्रेटरी हैं, मैं तो अपने विचार रख रहा हूं।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं यही कहना चाहती हूं कि जो बातें आज हो रही हैं, हमने आज समाज को बदल दिया। आप पुरानी बातें उखाड़ कर ला रहे हैं, हमने सब को बदल दिया है। हम इन पर विश्वास नहीं करते।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम यही सोच रहे हैं कि अगर आपने पुरानी सारी बातों को गाड़ दिया होता तो ठीक था, लेकिन ऐसी बात नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि इन्हें गाड़ा नहीं गया है। यह ऊपर ही ऊपर सड़ रहा है और इतना कि इसमें बदबू आ रही है। नाक पर रुमाल रखें···

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जी.एस. क्राइसत को भी क्रूसीफाई किया गया था। उस वक्त भी लोग मारे जाते थे, आज भी हत्याएं होती हैं। इसके यह मायने नहीं हैं हत्याएं बन्द हो गई होतीं। जो चीज गलत है, वह गलत है। गलत को हम नहीं मानते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : बुरी वृत्ति से घृणा करनी चाहिए। व्यक्ति से नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम तो और भी कहना चाहते थे, लेकिन हम सोचते हैं कि बात न बढ़े, शांतिपूर्ण ढंग से काम हो जाये।

उपाध्यक्ष जी : अभी-अभी इस हाउस में आपकी चेयर पै बैठने वाले ने क्या किया, यह भी एक मिसाल है और इतिहास इसको बतायेगा। हिन्दू धर्म-ग्रन्थ के बारे में बात हो रही थी। मैं साफ कहना चाहती हूं कि यहां कुछ लोगों को बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। काश ! आप उस समय कुर्सी पर होते।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहती हूं। उस वक्त समय की कमी थी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप चेयर पर होती तो मैं कहता ही नहीं। प्रो. वी. डी. सिंह को नहीं बोलने दिया गया, श्री सत्यनारायण जटिया को बोलने नहीं दिया गया। इसलिये हमने यह कहा है।

श्री हरीश रावत : यह ओबजैक्शनेबल है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अगर ओबजैक्शनेबल है तो हमारे खिलाफ

प्रिविलेज मोशन ले आइये। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ। उसके लिये ये सदस्य गवाह हैं।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जो लिस्ट में नाम हैं, सब को बोलने दिया गया है। शास्त्री जी की कुछ ऐसी आदत है। एक दिन मैं हाउस में नहीं थी, इन्होंने कह दिया कि मैं हरिजन के हाथ का पानी नहीं पीती। मेरे घर का नौकर हरिजन हैं, मैं रोज उसके हाथ का पानी पीती हूँ। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप लोग ही छेड़ देते हैं, हम तो धाराप्रवाह बोलना चाहते हैं हम तो हकीकत कह रहे हैं। वैसे हम आपके प्रति पूरा आदर रखते हैं। हमारी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में, जो बातें मेरे मन में थी, सामने हैं उनको मैंने साफ कर दिया है।

मैं दहेज की बात कर रहा था। ऋगवेद और अथर्ववेद में बहुत से ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिनसे दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है। रामायण की बात चल रही थी, उसका एक दोहा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी,
सकल कुंवर ब्याहे तेहिं करनी,
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी,
रहा कनक मनि मंडपु पूरी,
कंबल बसन विचित्र पटोरे,
भांति-भांति बहुमोल न थोरे,
गज रथ तुरग दास अरु दासी,
धेनु अलंकृत कामदुहा सी,
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा,
कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा,

मैं माननीय गृह-मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां तो जड़ समुद्र ने कह मारा, किसी राक्षस ने कह मारा। यहां किसने कहा है जड़ ने या चेतन ने ?

इसको पढ़ने से ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दहेज-प्रथा में विश्वास रखना चाहिए और दहेज लेना देना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : You need not read them, because nobody can follow them. Please give the Hindi translation.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह ब्रज भाषा है।

MR. DEPUTY SPEAKER : I am not getting translation.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री। क्या मैं इसका ट्रांसनलेशन कर दूं ?

MR. DEPUTY SPEAKER : You need not translate everything.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: रामायण में आगे कहा है :—

दाइज अमित न सकिय कहि
दीन विदेह बहोरि,
जो अलवोकत लोकपति,
लोक संपदा थोरि।

इसका मतलब है कि इतना ज्यादा धन और दहेज दिया गया कि उसके सामने लोकपति इन्द्र और कुबेर आदि की सम्पत्ति वाली सारी दुनिया की सम्पत्ति, थोड़ी मालूम होती थी। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक यह वाक्य रहेगा, तब तक दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि यह रामायण

मारिशस, इंगलैंड और दुनिया के हर मुल्क में पढ़ी जाती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्या सोचते होंगे। इसी लिए मैं चाहता हूं कि इन बातों को इन ग्रन्थों से निकाल देना चाहिए।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : क्या इतिहास में तथ्यों को बदला जा सकता है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आज हमारी प्रधान मन्त्री और हम लोग, देश भर में घूम-घूम कर किसानों को अच्छी खाद और अन्य चीजें देने के लिए कहते हैं, उनको रियायतें देते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि मनुस्मृति में कृषि-कर्म बुरा कहा गया है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या आपने मनुस्मृति पर शोध किया है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने सोशालोजी पढ़ी है। मैंन शोध नहीं किया है।

MR. DEPUTY SPEAKER ; Please give the central point. The time is up. We have got to complete this. Time was extended by half-an hour. It is already more than half-an-hour.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मनुस्मृति के अध्याय 10, श्लोक 33 में कहा गया है कि वैश्यवृति से जीता हुआ ब्राह्मण या क्षत्रिय हिंसा वाली पराधीन कृषि को त्याग दें। आश्चर्य होता है कि खेती न करने का उपदेश हमारे धर्म ग्रन्थों में दिया गया है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Nobody believes in caste these days. I do not know to which caste I belong. Please conclude. You have got a big document again. You have done well, but please conclude.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा अर्ष यह है कि मैं अपना उत्तर अगले दिन दे दूगा। अभी मुझे आध घंटा लगेगा।

MR. DEPUTY SPEAKER : Your resolution had been given suffcient time. We have already exhausted five hours.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी मुझे बहुत इम्पार्टन्ट बातें कहनी है। अभी मुझको 40 मिनट बोलना है। मेरा सुझाव है कि पहले माननीय सदस्य को अपना बिल पेश करने का अवसर दे दिया जाए और फिर मेरा रेप्लाई हो जाए।

MR DEPUTY SPEAKER : No. How, another Member is waiting.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : On that very day I said. I was not prepared ..

MR. DEPUTY SPEAKER : You have to conclude now. You wanted to bring out certain facts. I allowed it.

SHRI RATANSINH RAJDA : His purpose has been served.

MR. DEPUTY SPEAKER : That is what I am telling him. You conclude in another 3-4 minutes. But I will not give you the maximum time. You must try to cooperate with me. The allotted time is already over.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। तीस मिनट में ही।

आजकल गौ-हत्या के मामले में बड़ी चर्चा है। अभी वोट क्लब पर गौ-हत्या के बारे में अनशन किया गया था। हिन्दू धर्म में कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं जो आज भी गौ-हत्या को बढ़ावा देने की बात करते हैं। एक तरफ तो पुरोहित चिल्लाते है कि गौ हत्या बन्द की जाए और दूसरी ओर हिन्दू धर्म में

कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। अभी मैंने एक पत्रिका में लेटेस्ट कोटेशन पढ़ा है। (व्यवधान) मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन गन्दी चीजों को वहां से निकाल नहीं दिया जाता है और उनको वैसे ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में देश के सामने बड़ी खराब परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जाए। मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक बिल यहां पर लाया जाए जिससे कि ऐसी सभी बातों को समाप्त किया जा सके और हमारे संविधान की जो अवहेलना होती है उसको रोका जा सके।

MR. DEPUTY SPEAKER : Half an hour is already over. Please conclude. You time is up. You can use some other time. We have already exhausted 5 hours. So, please conclude now. You must always cooperate with me because I am in the Chair. If you cooperate with me, at other time I will help you.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मेरा यह निवेदन है कि इस मुल्क के 87 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जिन पर इन धर्म ग्रन्थों का कोई प्रभाव नहीं है। केवल 15 परसेंट लोगों को ही इन धर्म ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से भी जो स्त्रियां हैं उनको भी शूद्र के बराबर माना गया है इसलिए उनमें से 7 परसेन्ट स्त्रियों को भी इन धर्म ग्रन्थों की जरूरत नहीं है। सारांश में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में केवल 3 परसेन्ट लोगों को ही इन धर्म ग्रंथों की जरूरत है और अगर इन शब्दों को कहां से निकाल दिया गया तो केवल 3 परसेन्ट लोगों की भावनाओं को ही चोट पहुंचने की सम्भावना हो सकती है। जो बाकी 97 परसेन्ट लोग है उनको इन धर्म ग्रन्थों की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको मान लेते हैं तो मैं समझता हूँ कई मंत्रियों को भी वहां इस्तीफा देना पड़ जाएगा।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Please don't touch this book. He is concluding. He is a very learned person. He has made so much contribution. He is going to conclude.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं समाप्त कर रहा हूँ।

मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इन धर्म ग्रन्थों से बहुत काफी परेशानी उत्पन्न हो गई है और आज एक बहुत बड़ा समाज, करोड़ों का समाज कष्ट का अनुभव कर रहा है। इन धर्म ग्रन्थों के कारण आज बड़ा अनाचार और पापाचार फैल रहा है। उनमें इस तरह की ज्यादा प्रेरणायें हैं। मैं समझता हूं कि मैंने इसमें कोई बुरी बात नहीं कही है। मैंने एक आयोग बनाने की मांग की है। मैंने इसमें लिखा है कि बुद्ध धर्म को मानने वाले, एक जैन धर्म को मानने वाले और इसके साथ ही तीन हिन्दू धर्म के मानने वाले और उसमें विद्वान और प्रोफेसर हों। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे सिर्फ 18 पुराण हैं और तीन-चार वेद हैं तथा कुछ स्मृतियां हैं। इनको ले लीजिए, यह काम सिर्फ एक साल का है। वे लोग इसको पढ़ डालें और पढ़ने के बाद उस में से इन शब्दों को निकाल दें। मैं समझता हूं कि इससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे किसी साथी ने कहा कि इससे स्थिति खराब हो जाएगी। यह तो संविधान के खिलाफ

एक आचरण है। हमारे डागा जी ने कहा था कि ये बहुत पुरानी बातें हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि ये पुरानी बातें नहीं हैं। अभी भी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक लड़की को वेद पढ़ने से रोक दिया गया। इस लिए रोक दिया गया क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं थी। अब मैं आपका ध्यान अखबार की एक कटिंग के बारे में दिलाना चाहता हूँ। काशी में विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर है। विष्णु मंदिर में सोना चोरी हो गया। इसके बारे में लोग अपना बयान दे रहे थे। इस पर हमसे किसी ने कहा कि आप बयान नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा सोना चोरी तो हो गया, सरकार इसकी खोज करे। लेकिन जब बातें और आगे बढ़ गई तो मैंने एक बयान दे दिया— इन के चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए। उसी समय इत्तिफाक से काशी नरेश का वक्तव्य आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 28 बरस से इस मंदिर में जाना बन्द कर दिया है। आगे स्पष्टीकरण दिया है कि इस मंदिर से देव का लोप हो गया है। मैंने उसी समय बयान दिया कि नहीं साहब देव का नहीं होता है, देवता तो पवित्र रहता है। उसका लोप नहीं होता है। यानी तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए काशी की गरिमा रहनी चाहिए और देश की गरिमा रहनी चाहिए। इसके बाद एक ब्राह्मण ने फतवा दे दिया, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह बहुत ही दुःख का विषय है। उन्होंने कहा है— सोनकर ऐसे साधारण एवं कल्पित नेता शास्त्र ज्ञान शून्य महाराज श्री काशी नरेश से स्पष्टीकरण मांगने का दुःसाहस करें यह कार्य सोनकर ऐसे कुलीन के अनुरूप ही है। ··· (व्यवधान) ·· आपकी खोपड़ी पर चढ़कर आपको गाली दे रहे हैं और जिनको आप पैंशन दिए जा रहे हैं उन्होंने कहा

शास्त्र ज्ञान वाले पंडित ने, इस पर शास्त्र के अनुसार क्षमा मांगनी चाहिए। हम काशी नरेश की आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम किसी ब्राह्मण की आलोचना नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, और वह भी शास्त्रों के अनुसार जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। डागा जी ने कह दिया कि यह बात बहुत पुरानी हो गई है, गढ़े मुर्दे क्यों उखाड़े जायें। मैं भी नहीं चाहता हूं कि गढ़े मुर्दे उखाड़े जायें। यह बहुत ही और लज्जा की बात है। जटिया साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक कह दिया, जिस पर बाद में बातें हुई। हमारे माननीय बूटा सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री, ने कहा था किसी शंकराचार्य जी ने फतवा दे दिया है कि शूद्र को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। हमने कहा कि कौन शंकराचार्य ने कहा, तो कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन वह बात अखबारों में बहुत छपी। मैं डागा जी से पूछता हूं कि बीस दिन पहले शंकराचार्य ने फतवा दे दिया है कि शूद्र यज्ञ में नहीं बैठेगा, यह कैसे संभव हैं। अभी भी प्रधान मंत्री जी को दक्षिण भारत, पूरी, में जाने से रोक दिया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री नहीं जायेंगी** यह कैसे बरदाश्त होगा? आप अपने प्रधान मंत्री की बेइज्जती, अपमान बरदाश्त करें, लेकिन मैं तो अपने प्रधान मंत्री की बेइज्जती बरदाश्त नहीं कर सकता···

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : यह कहां हुआ है?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अखबार में छपा है।

इसी तरह से हमारे धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिये आप कहते हैं

**Not Recorded.

कि ये बातें पुरानी हो गई हैं, गड़े मुर्दे क्यों खोदे जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री श्री वैष्णवों देवी के मन्दिर में नहीं जाती हैं ? क्या हमारे लोग वैष्णवों देवी के मन्दिर में नहीं जाते हैं ? क्या हमारे लोग···

MR. DEPUTY SPEAKER : Do not bring in personalties.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : This news about Puri has been contradicted by the Prime Minister. So, it should not go on record.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall go through the record. Do not bring in personal issues.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप के यहां लाइब्रेरी में अखबार है उसको देख लीजिए। इत्तिफाक से उस की कटिंग इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : अखबार में जो बात छपती है, सब सही नहीं होती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रधान मंत्री गई थी, तीन महीने पहले गई थी और उनको जाने नहीं दिया गया था। प्रधान मंत्री हर जगह जाती रहती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।···

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall go through the records. Personal remarks are not permitted. You have got to conclude.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आप के सामने एक चौपाई पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : ***

***Expunged as ordered by the chair.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी गृह मंत्री इतनी उत्तेजित हो गई हैं···

MR. DEPUTY SPEAKER : I will go through the records. Please do not worry. There should be some decorum and decency. I will not allow any personal references.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं एक और दोहा आप को सुनाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Sir, the time is over.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes, time is over. Mr. Daga, are you withdrawing your amendment ?

SHRI MOOL CHAND DAGA (Palli) : Yes, Sir. I want to withdraw my amendment.

MR. DEPUTY SPEAKER : Does the hon. Member nave leave of the House to withdraw his amendment ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

The amendment, by leave, was withdraw.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : I have not yet finished. I am Just concluding.

MR. DEPUTY SPEAKER : There is a limit to your speech also. It should be of the highest decency. These are not the speeches that are made in the House. You should maintain decorum in the House.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो यह चाहता हूं और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और इस हाऊस से निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला बहुत ही संसंटिव है और धर्म ग्रन्थों में इस तरह के जो वाक्य लिखे हुए हैं, उनसे किसी भी आदमी को

गुस्सा आ जाता है। अगर इस तरह के वाक्य न लिखे होते, तो ऐसी बात न होती। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए और आप के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार का कोई बिल अपनी ओर से लाए, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिले और हमारे धर्म ग्रन्थ बड़े पवित्र और सुन्दर और आदर्श माने जाएं।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि**

लेकिन मेरा मतलब किसी को अपमानित करने का नहीं है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Shastri, I think you are not presssng for the Bill. Are you withdrawing it ?

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : I withdraw it.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for a review of Hindu scriptures and other religious literature and for that purpose establish a Commission and for matters connected therewith, with a view to identify and omit or amend such words, sentencs, paragraphs, stanzas, chapters, etc. from the scriptures and other religious literature which tend to encournge or propagate hatred, discrimination, inequality or untouchbility among citizens on grounds of religion, race, casts, sex, vocation or place of birth, in violation of the principles enhrined in the Constitution of India and the solemn resolution of the people of India contained in the preamble to the Constituion."

The motion uas adopted.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : I withdraw the Bill.

**Not Recorded.

17.57 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Article 51)

SHRI RATANSINH RAJDA: (Bombay South): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of Indta.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI RATANSINH RAJDA : I introduce the Bill.

17.58 hrs.

RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Secrion 2 dated 23.3.1984.